न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— मुन्नीराम बागड़िया
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 49/2016

1. राजू सिंह पुत्र श्री फूलसिंह जाति राजपूत, निवासी जसरापुर, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।
2. सोहन सिंह पुत्र कृष्ण सिंह, जाति राजपूत, निवासी जसरापुर, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।
3. मोहन सिंह पुत्र कृष्ण सिंह, जाति राजपूत, निवासी जसरापुर, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।
4. दिनेश सिंह पुत्र रघुवीर सिंह,जाति राजपूत, निवासी जसरापुर, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 20.07.2016
बअदालत तहसीलदार खेतड़ी उनवानी प्रकरण सरकार बनाम राजू सिंह सिंह
मु.न. 55/2016, अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट. भू राजस्व अधि. 1956

उपस्थितिः—

1 .श्री सुशील कुमार जोशी , एडवोकेट ——— ————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट————————————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 15.06.2018

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 20.07.2016 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम राजू सिंह मु.न. 55/2016 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट. भू राजस्व अधि. 1956 न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— हस्तगत प्रकरण में विवादित रास्ता तथा कथित खसरा नंबर 1518 से संबंधित होना कहा गया है। यह रास्ता कभी भी अस्तित्व में नहीं रहा, ना ही कभी कटान में था। इस रास्ते के पश्चातवर्ती प्रकरण पर कायम किया गया है जो नई पुरानी नक्शा शीट देखने से स्वतः स्पष्ट है। विवादित रास्ते बाबत ग्राम जसरापुर के रिसाल सिंह, भवानी सिंह, जगदीश सिंह, उमराव सिंह, जयपाल सिंह, नरेशपाल सिंह व सुमेर सिंह राजनीतिज्ञ स्तर पर प्रभावशाली व्यक्ति है जिन्होंने स्थानीय पटवारी व तहसीलदार को अपने

प्रभाव में लेकर विवादित रास्ता का कभी अस्तित्व न होते हुये भी नाजायज रूप से कायम करवा लिया। उपरोक्तानुसार विवादित रास्ता गलत कायम करवा लिये जाने के पश्चात रेस्पोडेन्ट ने योग्य अधीनस्थ न्यायालय एवं हल्का पटवारी पर अपने प्रभाव से धारा 91 एल.एल.आर. एक्ट की कार्यवाही कर अपीलार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही शुरू करवाई जो उनवानी सरकार बनाम राजू सिंह आदि जिसके मु0 नं0 184/15 थे जिस पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का मौका दिये बिना ही अपीलार्थीगण के विरूद्ध बेदखल किये जाने आदेश फरमाये गये परन्तु वास्तव में मौके से अपीलार्थीगण को कभी बेदखल नहीं किया गया तथा उपरोक्त निर्णय की पालना भी नहीं करवायी गई। इस संबंध में हल्का पटवारी ने बाला बाला रिपोर्ट तैयार की है जिसका अपीलार्थीगण को पता चलने पर उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुंझुनू के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर रखी है जो उनवानी राज सिंह बनाम राज0 सरकार जिसके मु0 नं0 41/2016 है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 3.8.2016 नियत है।

अपीलार्थीगण भंवर सिंह आदि की तरफ से एक दावा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के न्यायालय में पेश कर रखा है जो उनवानी भंवर सिंह आदि बनाम रिसाल सिंह जिसके मौजुदा मु0नं0 123/2016 है। इस दावा के साथ अपीलार्थीगण की ओर से एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था जो भंवर सिंह आदि बनाम रिसाल सिंह है। में दोनों पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था। इस अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर अंतिम बहस सुनी जाकर दिनांक 15.9.2015 को अपीलार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया गया । जिसकी अपीलार्थी ने राजस्व अपील अधिकारी सीकर केम्प झुंझुनू में अपील प्रस्तुत की जो उनवानी भंवर सिंह आदि बनाम रिसाल सिंह है । जिसमें दिनांक 15.6.2016 को योग्य अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्टस को पाबन्द किया गया है कि वे विवादित आराजियात की रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। इस प्रकार विवादित रास्ते से संबंधित खसरा नंबर पर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी होते हुये भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय पारित कर भयंकर कानूनी भूल की है । बल्कि न्यायालय अवमानना का अपराध किया है। उपरोक्त वर्णित विवरण के अनुसार स्पष्ट है कि हल्का पटवारी व स्थानीय अधिकारीगण रेस्पोडंन्ट के नाजायज प्रभाव में होने के कारण अपीलार्थी के विरूद्ध द्वितीय कब्जे का प्रकरण बताकर पुनः कार्यवाही शुरू की जिसमें अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया ना ही अपीलार्थीगण को सबूत शहादत एवं जवाबदेही पेश करने का अवसर दिया जो आलौच्य निर्णय को पढने से स्पष्ट प्रतीत होता है।योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य निर्णय पारित करने से पूर्व प्रकरण में हाजीर होने एवं जवाबदेही करने के लिए दिनांक 18.7.2016

को उपस्थित होने हेतु अपीलार्थीगण को नोटिस दिया जिसमें उपस्थिति की तारीख 18.7.2016 नियत थी। दिनांक 18.7.2016 को अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने गये परन्तु पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त होने के कारण तथा न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं होने के कारण अपीलार्थीगण की सुनवाई नहीं हो सकी तथा उसके एक दिन पश्चात दिनांक 20.7.2016 को आलोच्य निर्णय पारित कर दिया। आलौच्य निर्णय में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि बार–बार अवाज लगाने पर गैर सायलान की ओर से कोई हाजीर नहीं होना दर्ज कर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये उसी समय आलोच्य निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्यायके सिद्वांत के कतई विपरित होने से स्वतः निरस्त होने योग्य है। आलौच्य निर्णय के पढ़ने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रकरण में अपीलार्थीगण के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से नकल मौका बही भी पेश की गई है तथा पटवारी हल्का के बयान भी होना कहा गया है। अपीलार्थी को अपनी प्रतिरक्षा का अवसर नहीं दिया गया। आलौच्य निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई रिजनिंग व कोई फाईडिंग भी नहीं दी है ना ही तथ्यों एवं साक्ष्यों को विवेचित किया है। अतः योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी दिनांक 20.07.2016 को निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थीगण के विरूद्ध जारी गिरफतारी वारंट निरस्त किया जाकर अदम तामिल न्यायालय द्वारा अविलंब मंगवाया जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– हस्तगत प्रकरण में विवादित रास्ता तथा कथित खसरा नंबर 1518 से संबंधित होना कहा गया है। यह रास्ता कभी भी अस्तित्व में नहीं रहा, ना ही कभी कटान में था। इस रास्ते के पश्चातवर्ती प्रकरण पर कायम किया गया है जो नई पुरानी नक्शा शीट देखने से स्पष्ट है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का मौका दिये बिना ही अपीलार्थीगण के विरूद्ध बेदखल किये जाने आदेश फरमाया गया, परन्तु वास्तव में मौके से अपीलार्थीगण को कभी बेदखल नहीं किया गया तथा उपरोक्त निर्णय की पालना भी नहीं करवायी गई। अपीलार्थीगण भंवर सिंह आदि की तरफ से एक दावा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के न्यायालय में पेश कर रखा है, जो उनवानी भंवर सिंह आदि बनाम रिसाल सिंह जिसके मु0नं0 123/2016 है। इस दावा के साथ

अपीलार्थीगण की ओर से एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था जो भंवर सिंह आदि बनाम रिसाल सिंह है। में दोनों पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था। इस अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर अंतिम बहस सुनी जाकर दिनांक 15.9.2015 को अपीलार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया गया । जिसकी अपीलार्थी ने राजस्व अपील अधिकारी सीकर केम्प झुंझुनू में अपील प्रस्तुत की जो उनवानी भंवर सिंह आदि बनाम रिसाल सिंह है । जिसमें दिनांक 15.6.2016 को योग्य अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्टस को पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजियात की रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। इस प्रकार विवादित रास्ते से संबंधित खसरा नंबर पर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी होते हुये भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय पारित कर भयंकर कानूनी भूल की है । बल्कि न्यायालय अवमानना का अपराध किया है। उपरोक्त वर्णित विवरण के अनुसार स्पष्ट है कि हल्का पटवारी व स्थानीय अधिकारीगण रेस्पोडंन्ट के नाजायज प्रभाव में होने के कारण अपीलार्थी के विरूद्ध द्वितीय कब्जे का प्रकरण बताकर पुनः कार्यवाही शुरू की जिसमें अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया, ना ही अपीलार्थीगण को सबूत शहादत एवं जवाबदेही पेश करने का अवसर दिया जो आलौच्य निर्णय को पढने से स्पष्ट प्रतीत होता है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य निर्णय पारित करने से पूर्व प्रकरण में हाजीर होने एवं जवाबदेही करने के लिए दिनांक 18.7.2016 को उपस्थित होने हेतु अपीलार्थीगण को नोटिस दिया जिसमें उपस्थिति की तारीख 18.7.2016 नियत थी। दिनांक 18.7.2016 को अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने गये, परन्तु पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त होने के कारण तथा न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं होने के कारण अपीलार्थीगण की सुनवाई नहीं हो सकी तथा उसके एक दिन पश्चात दिनांक 20.7.2016 को आलोच्य निर्णय पारित कर दिया। आलौच्य निर्णय में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि बार–बार अवाज लगाने पर गैर सायलान की ओर से कोई हाजीर नहीं होना दर्ज कर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये उसी समय आलोच्य निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्यायके सिद्वांत के कतई विपरित होने से स्वतः निरस्त होने योग्य है। आलौच्य निर्णय के पढ़ने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रकरण में अपीलार्थीगण के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से नकल मौका बही भी पेश की गई है तथा पटवारी हल्का के बयान भी होना कहा गया है। अपीलार्थी को अपनी प्रतिरक्षा का अवसर नहीं दिया गया। आलौच्य निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई रिजनिंग व कोई फाईडिंग भी नहीं दी है ना ही तथ्यों एवं साक्ष्यों को विवेचित किया है। अतः योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 1581 किस्म गै0 मु0 रास्ता मौके से बेदखल करने के उपरान्त पश्चातवृति अतिक्रमण किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रकिया के तहत निर्णय पारित कर विधिसम्मत कार्यवाही की गई है । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में उसे सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका नहीं दिया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। हस्तगत प्रकरण में विवादित रास्ता तथा कथित खसरा नंबर 1518 से संबंधित होना कहा गया है। यह रास्ता कभी भी अस्तित्व में नहीं रहा, ना ही कभी कटान में था, जिसको नक्शा दुरूस्त कराने के लिए अपीलार्थीगण भंवर सिंह आदि की तरफ से एक दावा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के न्यायालय में पेश कर रखा है जो उनवानी भंवर सिंह आदि बनाम रिसाल सिंह जिसके मौजुदा मु0नं0 123/2016 है। विवादित रास्ते से संबंधित खसरा नंबर पर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश है ।

अधीनस्थ न्यायालय की अपत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर हस्तगत निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को पश्चातवति अतिक्रमी मानते हुये तीन–तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कही भी अकित नहीं किया गया है कि पूर्व में अपीलांट्स को कब बेदखल किया गया और किस अपीलांट द्वारा कितनी कितनी भूमि पर पश्चात्वृति अतिक्रमण किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी में नक्शा दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन होने के संबंध में फोटो प्रति प्रस्तुत की हैं । ऐसी स्थिति में अपीलांट्स के विरूद्ध की गई एक पक्षीय कार्यवाही एवं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.7.2016 उनवानी सरकार बनाम राजू सिंह आदि मु0नं0 55/16 निरस्त किया जाकर पत्रावली तहसीलदार खेतड़ी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि के वे स्वयं वादग्रस्त स्थल का मौका निरीक्षण कर पक्षकरान को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये राजस्व

रिकार्ड एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी में विचाराधीन उक्त दावा के मध्यनजर राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर विधिक प्रकिया के अन्तर्गत पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू